## खबरों में रहे स्टॉक

### एस्कॉर्ट्स कुबोटा

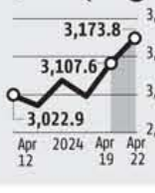


ट्रैक्टरों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया, जो 1 मई से प्रभावी होगी

₹ 3,107.6 पिछला बंद भाव
₹ 3,173.8 आज का बंद भाव
2.1 % ▲

### वेलस्पन कॉर्पोरेशन

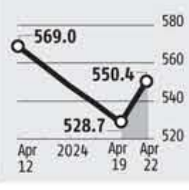


मार्च 2024 से 872 करोड़ रुपये के मल्टीपल लाइन पाइप ऑर्डर मिले

₹ 528.7 पिछला बंद भाव
₹ 550.4 आज का बंद भाव
4.1 % ▲

### एपिग्रल

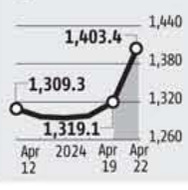


निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर 5 रुपये के अंतिम लाभांश को मंजूरी दी

₹ 1,319.1 पिछला बंद भाव
₹ 1,403.4 आज का बंद भाव
6.4 % ▲

### ल्यूपिन

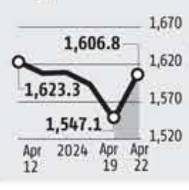


अमेरिका में मिराबेग्रोन एक्सटेंडेड-रिलीज टैबलेट की शुरुआत की

₹ 1,547.1 पिछला बंद भाव
₹ 1,606.8 आज का बंद भाव
3.9 % ▲

### सांघी इंडस्ट्रीज

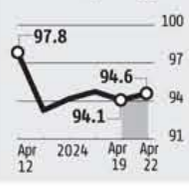


एनसीसीआरपीएस के जरिये 2,200 करोड़ जुटाने को मिली निदेशक मंडल की मंजूरी

₹ 94.1 पिछला बंद भाव
₹ 94.6 आज का बंद भाव
0.5 % ▲

## संक्षेप में

### एक्सपीरियन डेवलपर्स लगाएगी 1,500 करोड़ रु

आवासीय संपत्तियों की मांग में तेज वृद्धि के बीच रियल एस्टेट कंपनी एक्सपीरियन डेवलपर्स अपनी विस्तार योजनाओं के तहत नोएडा में एक लक्जरी आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए करीब 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। गुरुग्राम स्थित एक्सपीरियन डेवलपर्स ने अपनी नई परियोजना 'एक्सपीरियन एलिमेंट्स' को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा के साथ पंजीकृत किया है। यह एक्सपीरियन होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड (सिंगापुर) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। एक्सपीरियन डेवलपर्स के मुख्य कार्य अधिकारी नागराजू राउथू ने कहा कि कंपनी नोएडा में प्रवेश कर रही है, जो एनसीआर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रियल एस्टेट बाजार है। *भाष*

### 'द डर्मा को' की 500 करोड़ रु की राजस्व दर

डी2सी ब्रांड ममाअर्थ की मूल कंपनी होनासा कंज्यूमर ने सोमवार को ऐलान किया कि उसके सक्रिय घटक वाले स्किनकेयर ब्रांड 'द डर्मा को' ने 500 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व दर (एआरआर) हासिल कर ली है। कंपनी की इस सूचना के बाद उसका शेयर 4.8 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ। कंपनी ने इस उपलब्धि का श्रेय फेस सीरम, हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन, सनस्क्रीन स्टिक, एक्ने पैच जैसी श्रेणियों में अलग-अलग उत्पाद बनाने और उन्हें भारतीय त्वचा और मौसम के अनुरूप करने को दिया। होनासा ने एक बयान में कहा कि उत्पाद नवाचार के लिए डेटा का लाभ उठाने पर ध्यान देना और उभरते रुझानों पर तेजी से प्रतिक्रिया करना रणनीति का प्रमुख आधार है। डर्मा को का दावा है कि उसने पिछले वित्त वर्ष में एक करोड़ से ज्यादा इकाइयां बेची हैं। *बीएस*

# जियो का मुनाफा 12% बढ़ा

## चौथी तिमाही में परिचालन से राजस्व एक साल पहले के मुकाबले 13.37 प्रतिशत बढ़ा

**शुभायन चक्रवर्ती**
नई दिल्ली, 22 अप्रैल

भारत की सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर रिलायंस जियो का संचालन करने वाली जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (जेपीएल) का मुनाफा मार्च तिमाही में एक साल पहले के मुकाबले 12 प्रतिशत बढ़कर 5,583 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी का शुद्ध लाभ पिछली तीन तिमाहियों में 11.6 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 12.53 प्रतिशत बढ़ा था।

तिमाही आधार पर जियो प्लेटफॉर्म्स का शुद्ध लाभ 2.53 प्रतिशत तक बढ़ा। पूरे वित्त वर्ष 2024 में दूरसंचार कंपनी का सालाना शुद्ध लाभ 12 प्रतिशत तक बढ़कर 21,423 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 के 19,124 करोड़ रुपये था।

हालांकि चौथी तिमाही में दूरसंचार कंपनी का प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) लगातार तीसरे महीने 181.4 रुपये पर अपरिवर्तित बना रहा। सालाना आधार पर चौथी तिमाही में एआरपीयू 2 प्रतिशत तक बढ़ा।

कंपनी ने कहा है कि उसने बेहतर ग्राहक समावेश दर्ज किया जिसमें प्रमोशनल 5जी ट्रैफिक शामिल है जिसे ग्राहकों को अनलिमिटेड आधार पर पेश किया गया है और इसका अलग से शुल्क नहीं वसूला जा रहा है। चौथी तिमाही में परिचालन से राजस्व एक साल पहले के मुकाबले 13.37 प्रतिशत बढकर 28,871 करोड़ रुपये रहा। वहीं पिछली तीन तिमाहियों में यह वृद्धि 11.3 प्रतिशत, 10.7 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत रही।

जियो प्लेटफॉर्म्स ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में कंपनी की परिचालन राजस्व वृद्धि को मोबिलिटी और होम्स समेत सभी सेगमेंट में दमदार ग्राहक वृद्धि, एआरपीयू में मिश्रित सुधार से मदद मिली।

मार्च तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म्स का एबिटा 14,360 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले के मुकाबले 12.5 प्रतिशत अधिक है।

### मजबूत ग्राहक वृद्धि

मार्च तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म्स ने 1.09 करोड़ नए ग्राहक जोड़े, जो इससे पिछली दो तिमाहियों में शामिल हुए 1.1 करोड़ नए ग्राहकों के मुकाबले थोड़ा कम है। कंपनी ने पहली तिमाही में 92 लाख नए ग्राहक जोड़े थे। मार्च की तिमाही लगातार तीन तिमाहियों तक ग्राहकों की संख्या में कमजोरी दर्ज किए जाने के बाद कंपनी के लिए मजबूत वृद्धि वाली लगातार छठी तिमाही थी। जियो ने कहा है कि 10.8 करोड़ ग्राहक उसके 5जी नेटवर्क से जुड़ गए। मार्च के अंत में, जियो प्लेटफॉर्म्स के कुल ग्राहकों की संख्या 48.18 करोड़ थी, जो सालाना आधार पर 9.7 प्रतिशत या 4.24 करोड़ नए ग्राहकों तक की वृद्धि है।

## रिलायंस रिटेल : लाभ में 12 % का इजाफा

**शार्लीन डिसूजा**
मुंबई, 22 अप्रैल

**मार्च** तिमाही में रिलायंस रिटेल का शुद्ध लाभ एक साल पहले के मुकाबले 11.7 प्रतिशत बढ़कर 2,698 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का परिचालन से पीबीआईडीटी (ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व लाभ) सालाना आधार पर 18.1 प्रतिशत बढ़कर 5,632 करोड़ रुपये रहा। परिचालन से कंपनी का राजस्व चौथी तिमाही में एक साल पहले की तुलना में 9.8 प्रतिशत बढ़कर 67,610 करोड़ रुपये रहा।

नए स्टोर खुलने और आपूर्ति श्रृंखला ढांचे की वजह से ऊंचे आधार से मूल्यह्रास में इजाफा हुआ। कंपनी का सकल राजस्व 10.6 प्रतिशत तक बढ़कर 76,627 करोड़ रुपये रहा और कंपनी ने इसके लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और फैशन ऐंड लाइफस्टाइल व्यवसायों में वृद्धि को जिम्मेदार माना है।

वित्त वर्ष 2024 में, रिलायंस रिटेल का सकल राजस्व 3,06,786 करोड़ रुपये रहा, पिछले साल के मुकाबले 17.8 प्रतिशत की वृद्धि है।

रिलायंस रिटेल ने मार्च तिमाही में 562 नए स्टोर खोले और सभी फॉर्मेट में उसने 27.2 करोड़ ग्राहकों की आवाजाही दर्ज की।

# वेतन देने के लिए बैजू रवींद्रन ने कर्ज लिया

**पीरजादा अबरार**
बेंगलूरु, 22 अप्रैल

**नकदी** संकट का सामना कर रही शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बैजूस के संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी बैजू रवींद्रन ने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत ऋण लिया है। सूत्रों ने बताया कि बैजू ने 30 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है ताकि कंपनी के कर्मचारियों को मार्च महीने का वेतन दिया जा सके। मगर नकदी किल्लत से जूझ रही इस प्रमुख कंपनी ने अपने वरिष्ठ कर्मचारियों आंशिक वेतन का भुगतान किया है और शिक्षकों एवं छोटे स्तर के कर्मचारियों को पूरे महीने का वेतन दिया है।

**बैजू के इस कदम से कर्मचारियों को मिल सकेगा आंशिक वेतन**

इससे पहले कंपनी ने फरवरी के लिए भी आंशिक वेतन का भुगतान किया था और मार्च के वेतन भुगतान में देरी कर रही है। अब कर्मचारियों को फरवरी एवं मार्च महीने के आंशिक वेतन का भुगतान कर दिया गया है।देरी राइट्स निर्गम के जरिये जुटाई गई धनराशि के कारण हुई है, जिसे निवेशकों के साथ जारी विवाद के कारण एक अलग खाते में रखा गया है और उसके उपयोग की मनाही है। सूत्रों के मुताबिक, बैजूस में करीब 15 हजार कर्मचारी और कंपनी को हर महीने करीब 40 से 50 करोड़ रुपये उनके वेतन मद में खर्च करना पड़ता है।

मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि शनिवार को कर्मचारियों के खाते में वेतन भेज दी गई है। बैजू रवींद्र ने इस महीने का वेतन देने के लिए व्यक्तिगत ऋण लिया है। उन्होंने कहा, राइट निर्गम की रकम पैसा अभी भी विदेशी निवेशकों ने रोक रखी है। कल राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में सुनवाई होनी है और कंपनी अधिकरण से रकम जारी करने का अनुरोध कर सकती है। बैजू रवींद्रन सहित कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि अदालत का चाहे जो भी फैसला रहे कर्मचारियों को मार्च महीने का वेतन देने के लिए वे वैकल्पिक रास्ता तलाश रहे हैं।

बैजूस और निवेशक राइट्स निर्गम से जुटाए 20 करोड़ डॉलर पर कुप्रबंधन के आरोप पर एनसीएलटी में एक याचिका दाखिल की है। कंपनी के चार निवेशकों ने बैजूस के 22 अरब डॉलर के मूल्यांकन की तुलना में 99 फीसदी से कम उद्यम मूल्यांकन पर राइट्स निर्गम पर रोक लगाने की मांग की थी।

## पेटीएम के व्यापारियों का येस बैंक में स्थानांतरण पूरा

**अजिंक्य कावले**
मुंबई, 22 अप्रैल

**ब्रांड** पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने पिछले महीने नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के निर्देश के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर मर्चेंट हैंडल को येस बैंक में स्थानांतरित करने का काम पूरा कर लिया है। कंपनी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विजय शेखर शर्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी। शर्मा ने एक वेबिनार में कहा 'यह स्थानांतरण (व्यापारियों का) पूरा हो गया है और यह प्रणाली येस बैंक के बैक एंड पर चल रही है। जहां तक (केवाईसी) कार्य का सवाल है, तो येस बैंक यह तय कर सकता है कि वह किससे अतिरिक्त सत्यापन करवाना चाहता है।' शर्मा यूपीआई भुगतान के संबंध में यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के लिए कंपनी के दो नए साउंडबॉक्स उपकरणों की शुरुआत पर बोल रहे थे।

## मार्च तिमाही में परसिस्टेंट सिस्टम्स का शुद्ध लाभ 25 फीसदी बढ़ा

**शिवानी शिंदे**
मुंबई, 22 अप्रैल

**पुणे** की परसिस्टेंट सिस्टम्स का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 24 की मार्च तिमाही में 315.3 करोड़ रुपये रहा और सालाना आधार पर इसमें 25.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

तिमाही में कंपनी का राजस्व 14.9 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2,590.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। राजस्व वृद्धि को विभिन्न क्षेत्रों मसलन लाइफ साइंस व हेल्थकेयर, बीएफएसआई और सॉफ्टवेयर, हाईटेक व इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में वृद्धि से सहारा मिला।

पूरे साल के लिए कंपनी का राजस्व 17.6 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 8,350.5 करोड़ रुपये रहा जबकि मुनाफा 18.7 फीसदी के इजाफे के साथ 921 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

## वी के एफपीओ को 6.4 गुना अभिदान

पृष्ठ 1 का शेष

**इस** निर्गम के बैंकर ऐक्सिस कैपिटल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी अतुल मेहरा ने कहा, 'भारत के सबसे बड़े एफपीओ को सफलता से पूरा होते देख हमें बहुत खुशी है। इसके जरिये वोडाफोन आइडिया ने 18,000 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी जुटाई है। अच्छी बात यह है कि क्यूआईबी श्रेणी में करीब 19 गुना अभिदान मिला और इसमें जाने-माने देसी एवं विदेशी निवेशकों ने भाग लिया।'

शेयर बाजार में आज वोडाफोन आइडिया के शेयर में उतार-चढ़ाव बना रहा। कारोबार के दौरान यह शेयर 13.03 रुपये की ऊंचाई तक गया और 12.13 रुपये तक गिरा। आखिर में यह 0.23 फीसदी गिरावट के साथ 12.9 रुपये पर बंद हुआ। इस एफपीओ के लिए शेयर की कीमत का दायरा 10 से 11 रुपये था। निवेशकों की ओर से जबरदस्त मांग को देखते हुए नए शेयर का भाव 11 रुपये रखा जा सकता है, जो पिछले बंद भाव से 15 फीसदी कम होगा। मगर बाजार प्रतिभागियों ने कहा कि एफपीओ के तहत 18,000 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होने से गिरावट आएगी। मगर कंपनी के एफपीओ में विदेशी निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी हौसला बढ़ाएगी। विश्लेषकों ने कहा कि बड़े निवेशक कंपनी में दांव का जोखिम उठाने को तैयार हैं। ऐम्बिट के एक नोट में कहा गया है, 'क्यूआईबी के जबरदस्त समर्थन से वोडा-आइडिया का एफपीओ काफी सफल दिख रहा है। हालांकि जुटाई गई रकम और शुल्क दरें सितंबर 2025 तक स्पेक्ट्रम/एजीआर बकाया चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।'


**JM FINANCIAL HOME LOANS**

**जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड**
जिनमित पहचान संख्या : U65999MH2016PLC288534
जिनमित कार्यालय : तृतीय तल, भवन बी, ए-विंग सुरजाशीष आईटी पार्क, झुलंड सं. 68-ई, ऑफ दत्ता पाड़ा मार्ग, बोरीवली पूर्व, मुंबई - 400 066

**मांग सूचना**

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत**

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड (जेएमएफएचएलएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित निम्नांकित पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत की थी, जिसमें यहां इसमें निम्न सूचीबद्ध उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) (सभी एकल रूप में अथवा एक साथ "दायित्वधारकों" / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के रूप में संदर्भित) को, संबंधित मांग सूचना में अंकित राशि का, संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, निम्न दिये गये विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक द्वारा वितरित की गयी हैं तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वधारक(गण) / विधिक उत्तराधिकारी(गण) / विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे इच्छुक हैं, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा एक बार पुनः उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को सूचित किया जाता है कि वे जेएमएफएचएलएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋणानुबंध तथा अन्य प्रलेखों / आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां इसमें निम्न उल्लेखित राशि का, स्तंभ में निम्नांकित संबंधित तिथियों से भुगतान तथा / अथवा वसूलीकरण की तिथि तक आकलित भावी ब्याज के साथ, भुगतान करें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में निम्नलिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा क्रमशः जेएमएफएचएलएल के पास बंधककृत किया गया है।

| उधारकर्ता / गारंटरों के नाम तथा लैन | संपत्ति विवरण | 13(2) सूचना की तिथि एनपीए की तिथि तिथि के अनुसार कुल बकाया |
|---|---|---|
| 1. श्री रमेश चौधरी, 2. श्री सुभाष शाहू, पता : मकान नं. 443, एलआईजी कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, पीथमपुरा, बगदून सेक्टर–3, पीथमपुरा, धार, मध्य प्रदेश, पिन कोड 454775, तथा वार्ड नं. 28, एम. एन. 197/1, बगदून, पीथमपुरा, धार, मध्य प्रदेश 454775<br>**ऋण खाता संख्या : एचआईडीआर23000037680**<br>**स्वीकृत राशि : रु. 9,97,447/–** | भूखंड सं. 07/ए, सर्वेक्षण सं. 40/1/2, पीएच. नं. (पुराना 80) नया 37, ब्रजधाम ग्राम, कालीबिल्लौड़, तहसील देपालपुर एवं जनपद इंदौर, मध्य प्रदेश, पिन कोड–453001 | 1. 10–अप्रैल–2024<br>2. 05–अप्रैल–2024<br>3. रु. 8,35,902/– (रुपये आठ लाख पैंतिस हजार नौ सौ दो मात्र)<br>08–04–2024 के अनुसार |

*उपरोक्त अंकित दिनांकित संबंधित मांग सूचना में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, भुगतान तथा / अथवा वसूलीकरण की तिथि तक वहनकृत आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ। यदि उक्त दायित्वधारक जेएमएफएचएलएल को उपर्युक्तानुसार भुगतान करने में विफल रहते हैं तो जेएमएफएचएलएल लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के संपूर्ण जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) के समक्ष कार्यवाई करेगी।

उक्त दायित्वधारक(कों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है कि वे जेएमएफएचएलएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) का विक्रय एवं पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। तथा यदि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करता है तो उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास तथा / अथवा अर्थ दंड दिया जायेगा।

**स्थान : इंदौर, मध्य प्रदेश**
**दिनांक : 23–04–2024**

**हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
**कृते जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड**



**OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.**

**ओंकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**
**कार्पोरेट कार्यालय :** कोहिनूर स्क्वायर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुंबई–400028.
**सीआईएन : U67100TZ2014PTC020363, ई–मेल :** kalpesh.ojha@omkaraarc.com, **प्राधिकृत अधिकारी एम नंबर :** +91 97698 25323

[परिशिष्ट – 4-ए ] [नियम 8(1) के साथ पठित 8(6) का परंतुक देखें]

**अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना**

**ई–नीलामी की तिथि : 10 मई, 2024**

**वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1), 8(6) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना**

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / बंधकदाता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार नामतः ओंकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल), जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कम्पनी है, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) (सरफासी ऐक्ट) की धारा 3 के तहत एक आस्ति पुनर्गठन कम्पनी के रूप में विधिवत पंजीकृत है ; जिसका **सीआईएन नंबर : U67100TZ2014PTC020363** है और इसका पंजीकृत कार्यालय 9, एम.पी. नगर, फर्स्ट स्ट्रीट, कोंगू नगर एक्सटेंशन, तिरूपुर–641607 में तथा कार्पोरेट कार्यालय कोहिनूर स्क्वायर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुंबई–400028 में स्थित है, ओंकारा पीएस 26/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है। इसने समनुदेशन अनुबंध दिनांकित **30–09–2021** के माध्यम से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 5 के तहत पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएचएफएल) (पूर्वतः मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से मशहूर) से अधोवर्णित प्रतिभूतियों सहित कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / बंधकदाता(ओं) की सम्पूर्ण बकाया के सभी अधिकार, स्वत्वाधिकार एवं हित अधिग्रहीत कर लिए हैं।

इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07–09–2022 के अनुसार, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूत आस्ति(यों) का भौतिक कब्जा दिनांक 31–03–2023 को ले लिया है तथा उक्त आस्तियां नीचे वर्णित कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / बंधकदाता(ओं) से बकाया राशि की वसूली के लिए, **"जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" तथा "जो भी है वहां है"** आधार पर नीचे वर्णित तिथि को बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा (ईएमडी) तथा अन्य विवरण निम्नानुसार है।

| क्र. सं. | कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) / बंधकदाताओं का नाम | अचल सम्पत्ति का वर्णन | बकाया राशि रू. में | मांग सूचना की तिथि | कब्जा की तिथि | सुरक्षित मूल्य (रू.) | ईएमडी (रू.) | निरीक्षण तिथि और समय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1) आलोक जैन (कर्जदार), नीलम जैन (सह–कर्जदार), | **सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** आवासीय परवर्तित भूमि ग्राम रूनाजी गौतमपुरा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर, पटवारी हलका नंबर 5, नया 12, वार्ड नंबर 9, बाग मोहल्ला सर्वे नंबर 517, पैकि रकबा 0.063 (6728 वर्ग फीट), परिमाप 6727 वर्ग फीट, आवासीय आरसीसी निर्माण क्षेत्रफल 174.25 वर्ग फीट | रू. 50,69,443/– (रूपए पचास लाख उनहत्तर हजार चार सौ तिरालीस मात्र) 16–04–2021 तक + उस पर अद्यतन संविदात्मक ब्याज और अन्य प्रभार | 16-04-2021 by MHFL | 31-03-2023 | 28,90,000/- | 2,89,000/- | 06–05–2024 अप. 02.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक |

**ईएमडी के भुगतान एवं बोली प्रपत्र जमा करने हेतु अंतिम तिथि : 09–05–2024 अप. 06.00 बजे तक**

**नीलामी की तिथि एवं समय :** 10–05–2024 अप. 03.00 बजे से अप. 05.00 बजे | **वृद्धि मूल्य :** रू. 60,000/–

1. इच्छुक बोलीदाता जो ईएमडी जमा कर चुके हैं और लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बिड जमा करने में सहायता, ई–बिडिंग प्रोसेस में प्रशिक्षण के इच्छुक हैं, ई–नीलामी सेवा प्रदाता **"मैसर्स सी१ इंडिया प्रा. लि.",** टेली. हेल्पलाइन : +91–7291981124/25/26, हेल्पलाइन ई–मेल आईडी : support@bankeauctions.com अथवा **श्री भाविक पंड्या से मोबाइल : 88666 82937 ई–मेल: maharashtra@c1india.com पर सम्पर्क करें।**

2. किसी सम्पत्ति संबंधी पूछताछ अथवा सम्पत्ति अनुसूची के निरीक्षण के लिए, इच्छुक व्यक्ति संबंधित प्राधिकृत अधिकारी **–कल्पेश ओझा (मोबाइल 9769825323), ई–मेल :** kalpesh.ojha@omkaraarc.com अथवा उपरिवर्णित पते पर कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान सम्पर्क करें।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया http://omkaraarc.com/auction.php में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत बिक्री हेतु कानूनी नोटिस**

यह सूचना उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत पंद्रह (15) दिन की अनिवार्य सूचना भी है कि ई–नीलामी के माध्यम से नीलामी/बिक्री उपरिसंदर्भित तिथि को की जाएगी, इसके साथ ही उनको उपरिवर्णित बकाया राशि आगे ब्याज तथा सभी लागतों प्रभारों और खर्चों के साथ बिक्री की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय आस्तियां छुड़ाने की सलाह भी है। भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के विवेकानुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी विधि से की जाएगी।

**तिथि : 22–04–2024**
**स्थान : मुंबई**

**हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी, ओंकारा असेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**
**(ओंकारा पीएस 26/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत)**



**SBI**

सूचना सुरक्षा विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटी–सेन्टर,
सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध**

आरएफपी न. SBI/GITC/ISD/2023-24/ISO/43 दिनांक: 31.03.2024

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के लिए तीन साल की अवधि के लिए सूचना सुरक्षा सेवा प्रदाताओं (आईएसएसपी) के पैनल में शामिल होने के लिए पात्र बोलीदाताओं से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बोलियां आमंत्रित की जाती हैं. विवरण के लिए, कृपया **https://bank.sbi** और **https://etender.sbi/SBI/** पर प्रोक्योरमेंट न्यूज देखें.

बोलियां दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि और समय: 22.04.2024 को 18:00 बजे से
बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 13.05.2024 को 16:00 बजे तक

**स्थान:** नवी मुंबई
**दिनांक:** 23.04.2024

**उप महाप्रबंधक (साइबर सुरक्षा)**
**सूचना सुरक्षा विभाग,**



**kotak** Kotak Mahindra Bank

**कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड**

**कब्जा सूचना**

**पंजीकृत कार्यालय : 27-बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई), मुंबई-400 051 शाखा कार्यालय : कोटक महिन्द्रा बैंक लि., एससीओ 120, 5वां तल, मेट्रो टावर, ए.बी. रोड, विजय नगर, इन्दौर (मध्य प्रदेश)-452 010**

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित कर्जदारों को मांग सूचनाएं जारी की थी, जिनमें संबंधित कर्जदारों से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि का भुगतान, यावर्तावि भुगतान की तिथि तक सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों सहित, उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। उक्त कर्जदार/सह–कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों/सह–कर्जदारों और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा नीचे वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। एतद्द्वारा, विशेष रूप से उपरिवर्णित कर्जदारों तथा सामान्य रूप से सर्वसाधारण को सम्पत्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्तियों के संबंध में कोई भी सं